पुत्र श्री नाहरसिंह फौत जिनके कायम मुकाम

5—1 नाथुसिंह पुत्र श्री मोडसिंह

5—2 मनोहरसिंह पुत्र श्री मोडसिंह

5—3 भोजराजसिंह पुत्र श्री मोडसिंह

5—4 गुलाबसिंह पुत्र श्री मोडसिंह

5—5 भवंर कवंर पत्नि श्री मोडसिंह

जाति राजपूत निवासी सामराउ

तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिंनाक :—

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम निम्बली बेरा की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 1006/9 रकबा 00.0890 हैक्टर, खसरा नम्बर 1168/6 रकबा 00.0162 हैक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि मे राजस्व कर्मचारियो की भूल से राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दौलतसिंह के स्थान पर दोलसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह दर्ज कर दिया जो आज दिन भी राजस्व रेकर्ड मे यथावत दर्ज है ।ग्राम सामराउ के खेत खसरा नम्बर 517/4 रकबा 00.2833 हैक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि मे राजस्व कर्मचारियो की भूल से राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दौलतसिंह के स्थान पर दोलसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह दर्ज कर दिया जो आज दिन भी राजस्व रेकर्ड मे यथावत दर्ज है । इसी प्रकार से ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 128/8 रकबा 01.7563 हैक्टर, ख्सरा नम्बर 128/9 रकबा 00.1376 हैक्टर, खसरा नम्बर 127/15 रकबा 00. 1376 हैक्टर भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि मे राजस्व कर्मचारियो की भूल से राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दौलतसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर दोलसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह दर्ज कर दिया जो आज दिन भी राजस्व रेकर्ड मे यथावत दर्ज है । उपरोक्त वर्णित पद संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी व उसकी वल्दियत दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियो ने भूल व गलती से प्रार्थी के खाते मे प्रार्थी का नाम व वल्दियत दौलतसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर दौलसिंह पुत्र नाथुसिंह दर्ज कर दिया जो एक लिपीकिय सद्भाविक भूल है जब कि दौलतसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज करना चाहिये था इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड शुद्ध करवाने हेतू पेश है । उपरोक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी का नाम व वल्दियत गलत दर्ज की गई है जिसे यदि शुद्ध किया जाता है तो अप्रार्थी या अन्य किसी को कोई नुकसान नही होगा बल्कि राजस्व रेकर्ड शुद्ध होगा। प्रार्थी की सकुनत के लिए मतदाता ,राशन कार्ड ,पास बुक की नकल, की फोटो प्रतिये प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है । अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम निम्बली बेरा के खसरा नम्बर 1006/9, 1168/6 तथा ग्राम सामराउ के खसरा नम्बर 517/4 के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दौलसिंह के स्थान पर दौलतसिंह शुद्ध करवाए जाने का आदेश फरमावे

तहसीलदार, औसिया

Scanned with CamScanner

एवं ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 128/8, खसरा नम्बर 127/15, खसरा नम्बर 128/9 के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम व वल्दियत दोलसिंह पुत्र नाथूसिंह के स्थान पर दौलतसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह शुद्ध करवाए जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये । अप्रार्थीगण की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार औसिया की जांच रिपोर्ट मे दोलतसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह होना सही बताया जिसे शुद्ध किया जाना उचित बताया जिसमे सह खातेदारो को कोई आपत्ती नही है । उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राम निम्बली बेरा के खसरा नम्बर 1006/9, 1168/6 तथा ग्राम सामराउ के खसरा नम्बर 517/4 के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दौलसिंह के स्थान पर दौलतसिंह शुद्ध किया जावे एवं ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 128/8, खसरा नम्बर 127/15, खसरा नम्बर 128/9 के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम व वल्दियत दोलसिंह पुत्र नाथूसिंह के स्थान पर दौलतसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह शुद्ध किया जावे । तहसीलदार औसिया को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी की जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया

निर्णय आज दिनांक 12/3/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर औसिया